समाचार-प्रकाशनार्थ:-

आजादी के अमृत महोत्सव अ भयान की शुरुआत के तहत
 मशन नगरोदय द्वारा वकास एवं निर्माण कार्यो की सौगात मली
कार्यक्रम के सीधे प्रसारण को नागरिकों ने देखा व सुना

रतलाम 13 मार्च । आजादी के अमृत महोत्सव अ भयान की शुरुआत पर मशन नगरोदय के तहत मुख्यमंत्री श्री शवराज संह चौहान द्वारा वर्चुअल रूप से राज्य स्तरीय कार्यक्रम द्वारा रतलाम जिले के नगरीय निकायों में 843 लाख 58 हजार रुपए लागत के निर्माण कार्यों का शलान्यास तथा 221 लाख रुपए लागत के निर्माण कार्यों का लोकार्पण कया गया।

इस दौरान मुख्यमंत्री श्री शवराज संह चौहान के राज्य स्तरीय कार्यक्रम से प्रसारित उद्बोधन का सीधा प्रसारण को अलकापुरी कम्यूनिटी हॉल में जनप्रतिनि धए गणमान्य नागरिकए हितग्राही आदि ने एलईडी के माध्यम से देखा व सुना।

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर भारत की आजादी के 75 वर्ष को समारोहपूर्वक मनाने के लए आजादी के अमृत महोत्सव अ भयान की देशव्यापी शुरुआत 75 सप्ताह पूर्व 12 मार्च 2021 से की गई।

 मशन नगरोदय के तहत नगर निगम रतलाम द्वारा 7 हितग्राहियों को 10.10 हजार रूपए के बगैर ब्याज के ऋण वतरण प्रधानमंत्री स्वनि ध योजना के तहत कए गए। राष्ट्रीय शहरी आजी वका मशन के तहत 4 स्वयं सहायता समूह को ऋण लाभ प्रदान कया गया।

अलकापुरी कम्यूनिटी हॉल में कलेक्टर श्री गोपालचन्द्र डाडए निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारियाए श्री राजेंद्र संह लुनेराए श्री मनोहर पोरवालए श्री प्रदीप उपाध्यायए श्री अशोक पोरवालए श्रीमती अनीता कटारियाए श्री भगत संह भदौरियाए श्री मंगल लोढ़ाए श्री दिलीप गांधीए श्री मयूर पुरोहितए श्री आदित्य डागाए श्री कृष्णकुमार सोनीए श्री देवेन्द्र वाधवाए श्री निर्मल कटारिया ने राष्ट्र पता महात्मा गांधीए लौह पुरूष सरदार वल्लभ

भाई पटेलए नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के चत्र पर माल्यार्पण कर मशन नगरोदय कार्यक्रम की शुरूआत की।

उपायुक्त श्री वकास सोलंकीए सहायक आयुक्त श्रीमती ज्योति सुनारियाए कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यासए श्री जी.के. जायसवालए सहायक यंत्री श्री श्याम सोनीए सटी मैनेजर श्री कपील मारोठियाए श्री नितिन तिवारीए सामुदायिक संगठिकाएंेए हितग्राही व नागरिक उपस्थित थे।

महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कया

देश की आजादी के अमृत महोत्सव अ भयान की शुरुआत के अवसर पर रतलाम में नगर निगम के सामने उद्यान में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कया गया। श्री राजेंद्र संह लुनेराए कलेक्टर श्री गोपालचंद्र डाडए श्री मनोहर पोरवालए श्री प्रदीप उपाध्यायए श्रीमती अनीता कटारियाए श्री अशोक पोरवालए निगमायुक्त श्री सोमनाथ झारिया तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा माल्यार्पण कया गया।

तन और मन के साथ ही शहर को भी स्वच्छ रखे

स्वच्छता जागरुकता व स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा

रतलाम 13 मार्च । स्वच्छता तनए मन और वचार में होगी तो हमारा शरीर भी स्वस्थ होगा। ठीक इसी तरह जब हमारा घरए मोहल्ला और शहर स्वच्छ होगा तो अपना शहर स्वस्थ भी होगा। अब स्वच्छता को सफाई से आगे इस सोच के साथ बढ़ाना चाहिए क यह हमारे शहर के स्वास्थ्य के लए जरूरी है। यह सोच बदलेगी तो स्वच्छता का स्तर और भी ऊंचा होगा।

स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 के तहत नगर निगम आयुक्त श्रीसोमनाथ झारिया के निर्देश और मार्गदर्शन में शुक्रवार को आयोजित स्वच्छता जागरुकता और स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम में उक्त वचार प्रभारी स्वास्थ्य अ धकारीएमके जैन ने व्यक्त कए।

श्रीजैन ने कहां क संवाद में यह बात भी सामने निकलकर आई क स्वच्छता का संस्कार हमारे मन में होना चाहिए। यदि पॉ लथीन पर बैन लगाती है तो हमें भी कसी से पॉ लथीन में सामान लेने की अपनी

सोच बदलनी होगी। जब हम मना करेंगे तो देखते-देखते यह आदत में शा मल होगा। अब जरूरत है इस बात की भी है क हम ऐसे लोगों को रोकना-टोकना शुरू करेंए जो अभी भी इसके प्रति गंभीर नहीं हैं।

महिला एवं बाल वकास वभाग शहर परियोजना क्रमांक-1 की पर्यवेक्षक फरदोस खान ने संबो धत करते हुए कहां क खाली प्लॉट पर कचरा जलाने से लोगों को रोका जाना चाहिए। कार से थूकने वालों को भी सोचना चाहिए क वे इस तरह की हरकत से समाज को क्या संदेश दे रहे हैं। सीनियर सटीजन के प्रयास से हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं।

हम नगर निगम के साथ मलकर शहर को साफ-सुथरा बनाने के लए काम कर रहे हैं। उन्होने कहां क जब तक सेल्फ अनुशासन नहीं रहेगाए तब तक शहर को स्वच्छ रखना मुश्किल है।

मूक ब धर स्कूल के वरिष्ठ शक्षक सतीशचन्द्र तिवारी ने कहां क स्वच्छ और स्वास्थ्य दोनों का आपस में तालमेल है। अगर स्वच्छता नहीं रहेगी तो हम स्वास्थ्य नहीं रह सकते। हमें पता होना चाहिए क गंदगी से कौन-कौन सी बीमारियां होती हैं। एक समय था जब होटलों में कचोरी खाने के बाद कागज की प्लेट कोने में फैंक देते थेए ले कन अब कहीं भी कचरा देखने को नहीं मलता। स्वच्छता की भावना बनाए रखने के लए हमें इंटरनेशनल क्लिनिंग डे और 2 अक्टूबर के दिनों को अच्छे से से लब्रेट करना चाहिए। इस दिन स्कूल और कॉलोनियों में स्वच्छता बनाए रखने के लए बड़े आायोजन रखे जा सकते हैं।

शहर के फुटपाथ पर अतिक्रमण होने से भी कुछ जगहों पर कचरा देखने को मलता है। शाम को लगने वाले ठेलों का कचरा कई बार फुटपाथ पर ही रह जाता है। शहर की हर गली स्वच्छ बनी रहेए इसके लए अतिक्रमण हटाना होगा। जो दुकान संचालक कचरे को फैंकने की व्यवस्था नहीं करते हैंए उन पर सख्त कार्रवाई करनी होगी।

डॉ.शहनाज सैय्यद ने कहां क हर कॉलोनी में स्वच्छता पर निगरानी रखने के लए एक व्यक्ति तय कया जाना चाहिए। शहर में कई आयोजन होते हैं। इसमें पानी की बोतलए चाय के कप और फूलों की

माला का उपयोग कया जाता है। इससे रोड पर कचरा फैलता है और वातावरण भी प्रभा वत होता है। हम जब भी आयोजन करते हैंए उसमें ध्यान रखते हैं क प्लास्टिक का सामान और फूलों की माला का उपयोग न हो।

स्पर्धाओं में महिलाओं और बच्चों ने बढ़चढ़ कर हिस्सा लया

स्वच्छता जागरुकता और स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम के दौरान रांगोलीए निबंधएवाद- ववादएभाषणए चत्रकला सहित आधा दर्जन प्रतियो गताओं का आयोजन कया गया। इन प्रतियो गताओं में सफल हुए प्रतियो गयों को अति थयों ने प्रमाण पत्रएमोमेन्टों और बाल पेन देकर सम्मानित कया। कार्यक्रम के दौरान संचालन फरदौस खान ने कया और आभार वंदना सोंलकी ने माना।

वार्ड 14 व 41 को भी जीरो वेस्ट वार्ड बनाने की हुई शुरूआत

नगर के 8 वार्ड बन चुके हैं जीरो वेस्ट वार्ड

निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड वार नियुक्त पर्यवेक्षकों की बैठक ली

जीरो वेस्ट वार्ड बनाने में नागरिकों का मल रहा भरपुर सहयोग

रतलाम 13 मार्च । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार रतलाम नगर को जीरो वेस्ट बनाये जाने के तहत वार्ड क्रमांक 3ए 7ए 8ए 17ए 18 व 19 को जीरो वेस्ट वार्ड बनाया गया है वहीं स्व सहायता समूह की रैग पकर्स महिलाओं को शहर में ही रोजगार मलने के साथ ही सूखे कचरे का निष्पादन भी हुआ।

वार्ड क्रमांक 3ए 7ए 8ए 17ए 18 व 19 को जीरो वेस्ट वार्ड बनाये जाने की सफलता का देखते हुए निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने वार्ड क्रमांक 14 व 41 को जीरो वेस्ट वार्ड बनाने के निर्देश दिये जिसके तहत 13 मार्च से कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा वार्ड क्रमांक 14 व 41 को जीरो वेस्ट वार्ड बनाये जाने के कार्य का निरीक्षण प्रातः क्षेत्रिय जनप्रतिनि धए निगम अ धकारीए कर्मचारी आदि के साथ करीब 3 घन्टे तक कया गया। वार्डो को जीरो वेस्ट वार्ड बनाये जाने हेतु प्रत्येक वार्ड में 2.2 कचरा संग्रहण

वाहन बिना हैल्पर प्रातः लगाये गये जिससे घर-घर से स्व सहायता समूह की रैग पकर्स महिलाओं द्वारा गीला एवं सूखा कचरा पृथक-पृथक लया गया। अब तक नगर के 49 वार्डो में से 8 वार्डो को जीरो वेस्ट वार्ड बनाया जा चुका है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने आयोजित 12 मार्च को आयोजित बैठक में जीरो वेस्ट वार्डो में कये जा रहे कार्यो की नियुक्त वार्ड पर्यवेक्षकों से सल सलेवार जानकारी प्राप्त कर निर्दे शत कया गंदगी का मुख्य कारण है पॉलीथीन इस लये 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन को पूर्णतः बंद कया जाना है इसके लये सभी वार्ड पर्यवेक्षकए दरोगाए स्पॉट फाईन दल यह निगरानी रखें क इसका भण्डारण कहां होता है व वक्रय कौन कौन करता है सही जानकारी प्राप्त होने पर संब धत की पॉलीथीन जब्त की जाकर फुटकर व्यवसायियों पर 50 व दुकानदारों पर 5000 का स्पॉट फाईन कया जाये साथ ही अब तक जब्त की गई 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन को जुलवानिया टे[a] चंग ग्राउण्ड पर ले जाकर नष्ट कया जाये।

आयोजित बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया ने स्पॉट फाईन दल को यह भी निर्देश दिये क नगर में बगैर मास्क के घुमने वाले व्यक्तियों पर 100.100 रूपये का स्पॉट फाईन सख्ती से कया जाये।

बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्दे शत कया क नगर को गारबेज फ्री सटी बनाने के लये नगर में कहीं भी कचरा स्थान नहीं बने इसका वशेष ध्यान रखा जाये तथा खुले में कचरा फेंकने वालो पर जुर्माना कये जाने कार्यवाही में तेजी लाई जाये। इसके अलावा उन्होने निर्दे शत कया क सभी सड़को की स्वी पंग कराई जाये साथ ही व्यावसायिक क्षेत्रों में रात्रिकालीन स्वी पंग करवाई जाये साथ ही शहर के सार्वजनिक शौचालयए मुत्रालयों की निय मत धुलाईए सफाईए कीटनाशक दवा छिड़कावए प्रकाशए पानी आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

जीरो वेस्ट वार्ड 3ए 7ए 8ए 14ए 17ए 18ए 19 व 41 में 2.2 कचरा संग्रहण वाहन बिना हैल्पर के पंहूचे वाहन के साथ दुर्गा व ईश्वर स्व सहायता समूह रैग पकर्स महिलाए आई.ई.सी. टीम के सदस्यए वार्ड पर्यवेक्षकए

दरोगाए इंजीनियर आदि ने वार्ड के 100 प्रतिशत घरो पर जाकर नागरिकों से गीला एव सूखा कचरा पृथक-पृथक प्राप्त कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक वाहनों में डाला। संग्रहित कये गये सूखे कचरे को एक स्थान पर खाली कर समूह की महिलाओं द्वारा कचरे की छंटती कर एकत्रित कया गया।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया क स्व सहायता समूहों की रैग पकर्स महिलाऐं अपना एवं अपने परिवार का जीवन यापन करने के लये अपने बच्चों के साथ जुलवानिया टेª चंग ग्राउण्ड पर सूखे कचरे से प्लास्टिकए रबरए बॉटल व अन्य सामग्री अलग-अलग करके कबाड़ी को वक्रय कर नारकीय जीवन व्यतीत कर रही थी। जीरो वेस्ट वार्ड बनाने के तहत अब जुलवानिया की रैग पकर्स महिलाओं को वार्डो में ही काम मलने लगा है व इनकी सुरक्षा के लये निगम द्वारा एप्रीनए ग्लबसए मास्क आदि उपलब्ध कराये गये है। इन्हे वार्ड में ही कार्य मलने से इनके जीवन स्तर में सुधार होगा।

आयोजित बैठक में उपायुक्त श्री वकास सोंलकीए कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यासए श्री जी.के. जायसवालए सहायक यंत्री श्री श्याम सोनीए श्री एम.के. जैनए श्री सत्यप्रकाश आचार्यए श्री अर वन्द दशोत्तरए निगम स चव श्री जसवन्त जोशीए उपयंत्री सर्वश्री सुहास पं डतए बी.एल. चौधरीए वकास मरकामए मनीष तिवारीए सद्धार्थ सोनीए दीक्षा निजामपुरकरए श्रीमती अनिता ठाकुरए स्टेनोग्राफर श्री प्रमोद तिवारीए सटी मैनेजर श्री कपील मारोठियाए श्री नितिन तिवारीए कार्यालय अधीक्षक श्री रामचन्द्र शर्माए श्री बी.एल. चावरेए उद्यान पर्यवेक्षक श्री धर्मेन्द्र दोगायाए श्री अनील पाराए उप स्वच्छता पर्यवेक्षक आदि उपस्थित रहे।

श्रीजी व बालाजी डस्पोजल से 374 कलो पॉलीथीन जब्त

5000 व 3000 का कया जुर्माना

50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग प्रतिबं धत

उपयोग व भण्डारण पर होगी जब्ती व लगेगा दण्ड

खुले में कचरा डालने का व डयो मलने पर कया जुर्माना

रतलाम 13 मार्च । षासन निर्देषानुसार नगरीय क्षेत्र रतलाम में 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व प्लास्टिक उपयोग प्रतिबं धत कये जाने के तहत कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है।

धानमण्डी क्षेत्र में श्रीजी डस्पोजल से 242 कलो व बालाजी डस्पोजल से 132 कलो 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार स्पॉट फाईन द्वारा जब्त की जाकर संबं धतों पर 5000 व 3000 का जुर्माना कया।

इसके अलावा काटजू नगर क्षेत्र में अषोक माहेष्वरी द्वारा खुले में कचरा जाता है इसका व डयो निगम को प्राप्त होने पर स्पॉट फाईन दल द्वारा व डयो के आधार पर संबं धत के घर जाकर 500 रूपये का जुर्माना कर भ वश्य में खुले में कचरा ना डालने की समझाईष दी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया क नगरीय क्षेत्र रतलाम में सब्जीए फल-फुरट व अन्य सामग्री के फुटकर व्यवसायी अगर 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का उपयोग करते हैं तो उन पर 50 रूपये का अर्थदण्ड कया जाकर पॉलीथीन जब्ती की कार्यवाही की जायेगी। इसी तरह दुकानदारो द्वारा 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का उपयोग व भण्डारण करता है तो उस पर 5000६ रूपये का अर्थदण्ड कया जाकर पॉलीथीन जब्ती की कार्यवाही की जायेगी।

नगर के नागरिकए दुकानदार व फुटकर व्यापारियों से अपील की जाती है क वे 50 माईक्रॉन से कम मोटाई वाली पॉलीथीन व प्लास्टिक का उपयोग व भण्डारण ना करें।

जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए.पी. संहए झोन प्रभारी श्री करण चौहान व श्री पर्वत हाड़ेए उप स्वच्छता निरीक्षक श्री वराट मेहरा आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलानेए अतिक्रमण करने पर संबं धतों के वरूद्ध जुर्माना कये जाने का अ भयान निरंतर जारी रहेगा।

सायर चबुतरा के पास सोमवार को लगेगा निगम का बकाया वसूली श वर

नागरिकों ने 52ए64ए144६ संपत्तिकर व 11ए89ए835६ जलकर जमा कराया

रतलाम 13 मार्च । नागरिकों की सु वधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली ष वर 18 जनवरी से आयोजित कये गये है जो 27 मार्च तक चलेंगे।

आयोजित ष वरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरणए जलकरए दुकानए गुमटी करायाए लायसेंस षुल्क एवं वकास षाखा से संबं धत भवन की कष्त तथा भू-भाटक की बकाया रा ष जमा करा सकेगें।

निगम द्वारा आयोजित ष वरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर ष वर में संपत्तिकर 1ए10ए000६ व जलकर 6ए000६ए मालवा नगर लक्ष्मणपुरा ष वर में संपत्तिकर 1ए40ए000६ व जलकर 55ए775६ए अम्बे माता जवाहर नगर ष्वि िर में संपत्तिकर 2ए38ए000६ व जलकर 49ए010६ए वनोबा नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए29ए000६ व जलकर 43ए670६ए अलकापुरी कम्यूनिटी हॉल ष वर में संपत्तिकर 1ए22000६ व जलकर 29ए280६ए तिरूपति ष वर में संपत्तिकर 77ए000६ व जलकर 19ए850६ए कोमल नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए27ए000६ व जलकर 48ए220६ए मार्निंग स्टार स्कूल ष वर में संपत्तिकर 1ए12ए000६ व जलकर 14ए000६ए कस्तुरबा नगर ष वर में संपत्तिकर 5ए47ए000६ व जलकर 86ए540६ए प्रयदर्षनी नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए02ए000६ व जलकर 3ए76ए905६ए डोंगरे नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए82ए500६ व जलकर 76ए470६ए हाट रोड ष वर में संपत्तिकर 68ए000६ व जलकर 47ए595६ए कलीमी कालोनी ष वर में संपत्तिकर 1ए17ए000६ व जलकर 22ए680६ए राजेन्द्र नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए01ए644६ व जलकर 55ए320६ए काटजू नगर ष वर में संपत्तिकर 2ए76ए000६ व जलकर 59ए500६ए वेदव्यास कालोनी ष वर में संपत्तिकर 26ए62ए144६ व जलकर 6ए71ए025६ए कल्याण नगर ष वर में संपत्तिकर 71ए000६ व जलकर 19ए000६ए दीनदयाल नगर ष वर में संपत्तिकर 2ए47ए000६ व जलकर 64ए780६ए बोहरा बाखल ष वर में

संपत्तिकर 4ए92ए000६ व जलकर 66ए715६ए रामगढ़ ष वर में संपत्तिकर 1ए60ए000६ व जलकर 34ए340६ए लक्कड़पीठा प्याऊ के पास ष वर में संपत्तिकर 2ए30ए000६ व जलकर 44ए230६ए धानमण्डी ष वर में संपत्तिकर 2ए07ए000६ व जलकर 33ए940६ए जूनि कोर्ट करण टॉकज ष वर में संपत्तिकर 1ए84ए000६ व जलकर 56ए350६एआनन्द कालोनी ष वर मे संपत्तिकर 86ए000६ व जलकर 35ए140६ए प्रताप नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए16ए000 व जलकर 57ए670६ए महावीर नगर ष वर में संपत्तिकर 69ए000६ व जलकर 21ए185६ए पैलेस रोड ष वर में संपत्तिकर 3ए50ए000६ व जलकर 66ए865६ए चौगानिया भेरू मंदिर के पास ष वर में संपत्तिकर 1ए15ए000६ व जलकर 25ए865६ए सायर चबुतरा ष वर में संपत्तिकर 93ए000६ व जलकर 30ए620६ की रा ष जमा कराई। इस तरह नागरिकांेें ने अब तक आयोजित ष वरों मेंें 52ए64ए144६ संपत्तिकर व 11ए89ए835६ जलकर की रा ष जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित कये गये वसूली ष वरो के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 24ए 25 व 42 के लये 15 मार्च को षक्षा वभाग सायर चबुतराए वार्ड क्रमांक 43 व 45 के लये 16 व 17 मार्च तक चौमुखीपुल प्याऊ के पासए वार्ड क्रमांक 41 के लये 18 से 19 मार्च तक बजाजखाना गणेष देवरीए वार्ड क्रमांक 33ए 34 व 35 के लये 20 व 22 मार्च को षास्त्री नगर सेंट्रल बैंक के पासए वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लये 23 से 24 मार्च तक दो बत्ती चौराहाए वार्ड क्रमांक 30ए 31ए 32 व 34 के लये 25 से 26 मार्च तक स्टेषन रोड दिलबहार चौराहा व वार्ड क्रमांक 16 व 17 के लये 27 मार्च को टाटा नगर में कार्यालयीन समय में ष वर आयोजित कये गये है।

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध कया गया है क निगम द्वारा उक्त ष वर बकायादारों की सु वधा के लए आयोजित कये गये है इन आयोजित ष वरों में बकायादार अपनी बकाया रा ष जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।।

अनुपस्थित 52 सफाई संरक्षकों का वेतन काटा
कारण बताओ सूचना-पत्र जारी

रतलाम 13 मार्च। निगम के चारो झोन के वार्डो की सफाई कार्य के निरीक्षण के दौरान नगर के व भन्न वार्डो में 11 मार्च गुरूवार को बिना सूचना के 26 व 12 मार्च शुक्रवार को बिना सूचना के 26 सफाई संरक्षकों द्वारा अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक दिवस का वेतन काटा जाकर अस्थाई कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त करने व स्थाई कर्मचारियों को निलंबित कये जाने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी कया गया।

स्वच्छंद वचरण करने वाले मवे शयों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा
726 मवे शयों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा

रतलाम 13 मार्च । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानोए सड़कोए चौराहों पर स्वच्छंद वचरण करने वाले मवे शयों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य वभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवे शयों को पकड़ा जायेगा क्यों क मवेशी पालको द्वारा दिन में मवे शयों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा 13 अक्टूबर से अ भयान चलाया गया तथा 12 मार्च तक शहर के व भन्न क्षेत्रों से 726 मवे शयों को पकड़ा जाकर जिले की व भन्न गौशालाओं में भेजा गया। अ भयान के तहत 12 मार्च शुक्रवार को हाट राड व टीआईटी रोड से 2 मवेशी निगम के स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा पकड़े गये।

शहर के सार्वजनिक स्थानोंए सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अ भयान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी कया गया है। शहरी क्षेत्र में मवे शयों

का पालन करना नियम वपरित हैए ऐसे मवेशी पालक जो क शहरी क्षेत्र में अनुमति के वपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवे शयों का पालन कया जा रहा है वे स्वंय अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते है तो निगम द्वारा उन्हे तोड़ा जाकर रा श वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो क अपना घोड़ा या अन्य कसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोडेगा व उससे कसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पंहूचता है तो पालक पर 500 रूपये का अर्थदण्ड कये जाने का प्रावधान हैं। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद वचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड रा श रूपये 500६ वसूल करेगा स्वच्छंद रूप से वचरण करने वाले मवे शयों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए0पी0 संहए झोन प्रभारी श्री करण चौहानए श्री पर्वत हाड़े व स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा की गई।

खुले में गंदगी करने वालों की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

रतलाम 13 मार्च। नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो क खुले मेंए नाले-ना लयों में कचरा डालते है व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का वक्रयए उपयोग व भण्डारण करते है उन पर जुर्माना कये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने दल का गठन कर स्पॉट फाईन हेतु वाहन भी उपलब्ध कराया है।

गठित दल में वराट मेहराए उप स्वच्छता पर्यवेक्षक मो.नं. 9770326691 को दल प्रभारी नियुक्त कया है इसके अलावा मनोज टांक मो.नं. 7000848456ए पवन झांझोट मो.नं. 7000128812ए आकाष षन्देए मनोज झांझोटए राकेष ललावत दल प्रभारी के साथ रहकर नगर में नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो क खुले मेंए नाले-ना लयों में कचरा डालते है व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का वक्रयए उपयोग व भण्डारण करते है उन पर जुर्माना करेंगे व जो दुकानदार जुर्माने के बाद भी निरंतर गंदगी करते है उनकी दुकाने सील करने की कार्यवाही करेंगे।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है क षहर को गंदा करने वाले नागरिकोंए दुकानदारों आदि की जानकारी उक्त मोबाईल नम्बरों पर देकर नगर को साफ-स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के वरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 13 मार्च । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डो की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले-ना लयों आदि समु चत सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले-ना लयों में कचरा पाये जाने पर संबं धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डो की समु चत साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबं धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण की दी समझाईश स्वच्छता के लये नगारिक दे रहे हैं फीडबैक

रतलाम 13 मार्च । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देशानुसार नगर के समस्त घरोंए दुकानों आदि से 100 प्रतिशत गीला एवं सूखा कचरा पृथक-पृथक संग्रहित कये जाने हेतु नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम आस्था के सदस्यों द्वारा नगर के व भन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को स्वच्छता बनाये रखने गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक रखने की समझाईश दी जा रही है।

नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम डवाईन के सदस्यों द्वारा नगर के व भन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण हेतु घरों एवं दुकानों में पृथक-पृथक कचरा पात्र रखकर पृथक-पृथक कचरा एकत्रिकरण व गीले एवं सूखे कचरे को निगम के

कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालने की समझाईश दी साथ ही नागरिकों से स्वच्छता हेतु स्वच्छता एप पर सटीजन फीडबैक लया।

सफाई संबंधी शकायत दर्ज कराने हेतु नागरिक स्वच्छता एप का उपयोग करें

रतलाम 13 मार्च । रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाडए निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मशन के तहत सफाई संबंधी शकायत दर्ज कराने के लये भारत सरकार द्वारा तैयार कये गये स्वच्छता एप की जानकारी निगमक र्मयों व नगर निगम की सहयोगी संस्था आस्था के सदस्यों ने शहर के व भन्न क्षेत्रों में नागरिकों को दी।
स्वच्छ भारत मशन के तहत कये जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने के लये रतलाम नगर के नागरिक सफाई संबंधी शकायत स्वच्छता एप दर्ज कराने के लये अपने एन्ड्रोयड मोबाईल पर गूगल प्ले स्टोर में जाकर स्वच्छता एप टाईप करेंए उसके पश्चात एप को इन्सटाल करें। इन्सटाल करने के बाद एप्लीकेशन ओपन करके अपना मोबाईल नम्बर रजिस्टर्ड करें। इसके बाद अपना जीपीएस ऑन करें इसके बाद आपकी सफाई संबंधी शकायत का फोटो लेकर अपलोड करें। अपलोड की गई शकायत नगर निगम के पास आयेगी ओर उसका तत्काल निराकरण कया जायेगा।

कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदरों को रखना होंगे 4 डस्टबीन

खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालो पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी

अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

रतलाम 13 मार्च । नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो क अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अप शष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 डस्टबीन नहीं रख रहे है व दुकानों के सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्रीए फल-सब्जी के छिलकेए घांस व पेड़ की पत्तियांए राखए चाय पत्तीए बचा हुआ खाना आदि के लये हरा डस्टबीनए सूखा कचरा अर्थात पुस्टाए अखबारए लोहाए कपड़ाए शालए कांचए पै कंग मटेरियलए टुटे खलौनेए प्लास्टिक आदि के लये नीला डस्टबीनए घरेलू हानिकार कचरे के लये पेन्ट के डब्बेए पेस्टीसाइड के डब्बेए सीएफएलए ट्यूबलाईटए थर्मामीटरए बैटरी आदि के लये काला डस्टबीन तथा मे डकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीनए डायपरए सुईए संरिजए मास्कए ग्लब्सए पीपीई कीट आदि के लये पीला डस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिष्ठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालो उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के व भन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संबं धत के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000.5000 हजार का जुर्माना करेगी।

समाचार/ज.सं. व./हेमन्त/13ण03ण2021ध्न.पा.निगमए रतलाम.